राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 33/21 दायर दिनांक–14.12.2021

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रेवतमल पुत्र किशनाराम जाति जाट नि0 खाजपुरा, तहसील रूपनगढ़

...अपीलान्ट

बनाम

1. आदर्श ग्राम पंचायत, (मि0स0)रूपनगढ जरिये सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत (मि0स0) रूपनगढ़
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

...रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–रा0अधि0 1956

निर्णय **दिनांक 10.10.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम रूपनगढ़, पटवार हल्का रूपनगढ़, तहसील रूपनगढ़ अवस्थित कृषि भूमि के खसरा न0 4181/4146 रकबा 1.7555 है0 में से विशिष्ट क्षेत्रफल 0.1376 है0 कृषि भूमि को उसके खातेदार (1)कुन्दनी देवी पत्नि नन्दाराम हि0 1/8, (2)गणेश थाकण पुत्र नन्दाराम हि0 1/8, (3)जयराम पुत्र नन्दाराम हि0 1/8, (4)धनकंवर पुत्री नन्दाराम हि0 1/8, (5)रूकमा देवी पुत्री नन्दाराम हि0 1/8, (6)रंजना चौधरी पुत्री नन्दाराम हि0 1/8, (7)रामचन्द्र पुत्र नन्दाराम हि0 1/8 सर्वजाति जाट सा0 झाग खातेदार विकेता संख्या 1 से 7 जरिये अधिकृत अभिकर्ता कानाराम पुत्र नन्दाराम जाति जाट नि0 झाग एवं 8. कानाराम पुत्र नन्दाराम हि0 1/8 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 05.07.2021 को पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके अपीलान्ट ने खरीदकर काबिज काश्त हो गया। अपीलान्ट द्वारा खरीदशुदा आराजीयात का पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर अपनी खरीद शुदा आराजी का अपीलान्ट के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड में नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 31.08.2021 को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 6509 दिनांक 31.08.2021 को भरकर नामान्तकरण में सभी खसरों पर मुताबिक विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण दर्ज कर वास्ते जांच व उचित आदेशार्थ पेश किया है। गिरदावर हल्का के समक्ष पेश किया जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 06.09.2021 को अंकन किया कि जांच की अंकन सही है। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनांक 06.10.2021 को मजमे आम में पेश किया, तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त नामान्तरकरण की पत्रावली को हल्का पटवारी द्वारा उक्त नामान्तरकरण को ग्राम पंचायत की बैठक प्रस्ताव संख्या 5 में पारित निर्णय अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष तस्दीक हेतु निवेदन किया। तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा खरीदशुदा भरे हुये नामान्तरकरण को बिना किसी युक्तियुक्ति कारण के बिना विधिक प्रकिया के तहत दिनांक 06.10.2021 को उक्त भूमि कस्टोडीयन होने से खारिज कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष के समक्ष पेश की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:34:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रंजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी जरिये नोटिस की गयी। रेस्पोडेन्ट्स के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टांत पेश किया जिसमें माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान , अजमेर के एकलपीठ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 4672/2020 में दिनांक 21.12.2020 को पारित निर्णय अनुसार विवादित आराजी को माननीय उच्च न्यायालय के स्तर तक कस्टोडियन भूमि नहीं होने से राजकीय भूमि होना नहीं माना गया है तथा इमामबक्ष की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नि ऐमना बेगम को उचित वारिस मानते हुये उनके पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण को किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया तथा ऐमना बेगम द्वारा किये गये विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरणों को भी आज दिनांक तक किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है वरन् इन्हें विधिक प्रकिया के अनुसार सही माना गया है। राज–भू0राजस्व अधि0 1956 की धारा 133 से 135 में नामांतरकरण बाबत् स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसमें अन्तरण के संबंध में भी नामांतरकरण खोलने का प्रावधान है। स्पष्ट है कि नामांतरकरण कार्यवाही करने की तहसीलदार की जिम्मेदारी है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है तथा इससे किसी पक्षकार के अधिकार स्वत्व या हित अंतिम रूप से निर्धारित नहीं होते है। यही नहीं नामांतरकरण की कार्यवाही से ही राजस्व रिकार्ड को अपडेट एवं एक्यूरेट किया जा सकता है जो राजस्व अधिकारियों की जिम्मेदारी भी है। चूंकि तस्दीककर्ता (सरपंच, आदर्श ग्राम पंचायत मि0 स0 रूपनगढ) द्वारा ग्राम रूपनगढ़ के नामा0 संख्या 6509 दिनांक 06.10.2021 को अस्वीकृत करने का कारण कस्टोडियन भूमि होना अंकित किया है इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है एवं माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान , अजमेर के एकलपीठ द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 4672/2020 में दिनांक 21.12.2020 को पारित निर्णय अनुसार विवादित आराजी को कस्टोडियन की भूमि नहीं होने से राजकीय भूमि नहीं होना माना है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम रूपनगढ़ के नामान्तरकरण संख्या 6509 दिनांक 06.10.2021 के पारित आदेश को खारिज किया जाता है। अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रूपनगढ़ को उक्त प्रकरण में नवीन नामांतरकरण दर्ज कर नियमानुसार निस्तारण करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.12.15 14:34:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)